

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद बिश्नोई पुत्र कृष्ण चन्द्र बिश्नोई निवासी 43गांधी नगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.03..2002 को एक बंद वसीयत जरिये रसीद सं0 59996325/14.03.22 से इस कार्यालय में करवायी गयी थी।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा दिनांक 15.03.2022 को करवायी गयी बंद वसीयत को वापिस लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

श्रीमान् जी से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प मेन्चुल की धारा 44 के तहत बंद वसीयत को लौटाने का प्रावधान है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन

2022/60

28/3/22